106

प्र/ निग०/सतना/2018/0589

न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर सार्ट सर्किट रीवा –संभाग रीवा (म0प्र0)

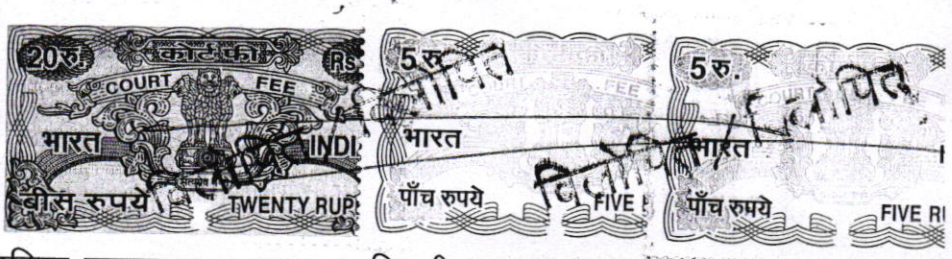

1. हरिहर प्रसाद तनय साधूराम तिवारी सा0 रामपुर मुडवार तह0 रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0
2. रामकृपाल तनय गंगादास सा0 रामपुर मुडवार तह0 रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 ——————————————निगराकार

बनाम

1. रामरती पत्नी कैलासदास शर्मा सा0 रामपुर मुडवार तह0 रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0
2. मध्यप्रदेश शासन——————————————गैर निगराकार

अधि० श्री अजय पाण्डेय द्वारा पेश/23-01-18

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध राजस्व निरीक्षक मंडल चोरहटा तह0 रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 के प्रकरण क्र0 13 अ12/2017–18 मे पारति सीमांकन अनुमोदन दिनॉक 26/12/2017 के ।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 कानून माल 1959

मान्यवर

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी के आधार निम्न है। :–

निगरानी के तथ्य

यह है कि गैरनिगराकार क्र0 1 द्वारा राजस्व निरीक्षक मंडल चोरहटा तह0 रामपुर बाघेलान के समक्ष ग्राम रामपुर मुडवार स्थित आ0 नं0 150/1/ख/5 रकवा 0.202हे0 के सीमांकन वावत् गैरनिगराकार क्र0 1 द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है । तथा निगराकार क्र0 2 द्वारा भी अपने भू–स्वामित्व की आ0नं0 150/1/ख/8 रकवा 0.162 हे0 को लेकर सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था लेकिन राजस्व निरीक्षक द्वारा निगराकार क्र0 2 के प्रस्तुत सीमांकन आवेदन के आधार पर आज तक सीमांकन नही किया गया बल्कि अवैधानिक रूप से एक पक्षीय ढंग से मात्र गैर निगराकार क्र0 1 के कथना व चाहे गए स्थान पर प्रथक – प्रथक सीमांकन कर दिया गया और उक्त अवैधानिक सीमांकन के आधार पर गैर निगराकार क्र0 1 के साथ–साथ अन्य लोगो के स्वामित्व की आराजी का भी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क0 दो–निगरानी/सतना/भू.रा./2018/589

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
17/7/18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल रामपुर वाघेलान जिला सतना के प्रकरण कमांक 13 अ–12/17–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 26–12–2017 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क–1 की मांग पर उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 150/1 ख/5 रकबा 0.202 है. का सीमांकन समस्त मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देकर दिनांक 4–11–17 को किया गया। सीमांकन पर आपत्ति न आने पर आदेश दिनांक 26–12–17 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की गई है। इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण ने यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया है कि आवेदकगण मेढ़िया कास्तकार है किन्तु 4–11–17 को सीमांकन की सूचना जारी की गई परन्तु इस दिन सीमांकन नहीं किया गया है बल्कि आवेदकगण के पंचनामे पर फर्जी हस्ताक्षर करके पंचनामा बनाया गया है। राजस्व निरीक्षक ने गैर निगरानीकर्ता से सॉठगॉठ करके मनमाना सीमांकन आदेश जारी किया है जिससे आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है इसलिये सीमांकन आदेश निरस्त किया जावे। 4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव राजस्व निरीक्षक	

व्दारा प्रकरण कमांक 13 अ–12/17–18 में की गई कार्यवाही से परिलक्षित है कि पटवारियों का दल गठित करने के उपरांत समस्त मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देकर सीमांकन हुआ है एंव पटवारी पर पर उपलब्ध नक्शे के आधार पर दिनॉक 4–11–17 को किये गये सीमांकन, स्थल पर तैयार पंचनामा, मौके पर तैयार की गई क्षेत्र पुस्तिका अनुसार की गई सीमांकन कार्यवाही में दोष दिखाई नहीं देता है यदि आवेदक किये गये सीमांकन से स्वयं् की भूमि प्रभावित होना मानता है तब राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ अधीक्षक/सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं् की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है। राजस्व निरीक्षक व्दारा पारित आदेश दिनांक 26–12–17 में दोष प्रतीत न होने से निगरानी सारहीन है जो इसी स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य